(2024) 9 एस.सी.आर. 425: 2024 आईएनएससी 706

सुषमा

बनाम

नितिन गणपति रंगोले तथा अन्य

(सिविल अपील सं0 (संख्याएं) 10648 वर्ष 2024)

19 सितम्बर 2024

(पामीदिघनतम श्री नरसिम्हा तथा संदीप मेहता, रचयिता, न्यायमूर्तिगण)

विचारणीय मुद्दा

इन अपीलों में अन्तर्वलित प्रमुख मुद्दा अपीलार्थी-दावेदारों को अधिनिर्णय 50 प्रतिशत प्रतिकर के कटौती के आसपास केन्द्रित है, जिसने योगदायी उपेक्षा के पहलू पर अवर न्यायालयों के एक ही निष्कर्षों पर अभ्याक्रमण किया है जिसके द्वारा, कार का चालक, जो भी दुर्घटना में मरा था, टक्कर कारित करने के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया गया था।

शीर्ष टिप्पणियाँ

मोटर यान अधिनियम, 1988 - एक कार ने 14 पहिया ट्रेलर ट्रक को टक्कर मारा था जिसे संकेतको या पार्किंग लाइट के रूप में किसी चेतावनी संकेतों के बिना राजमार्ग के बीच में परित्यक्त छोड़ा गया था- टक्कर के परिणामस्वरूप कार के यात्रियों तथा चालक की मृत्यु हुई थी- मात्र एक याची- एस जीवित बचा था- क्षतिग्रस्त एस तथा कार के मृतक अधिभोगियों के विधिक उत्तराधिकारियों ने पृथक दावा याचिकाओं को दाखिल किया था- अधिकरण ने कार के चालक द्वारा योगदायी उपेक्षा के कारण 50 प्रतिशत तक अधिनिर्णीत प्रतिकर के कटौती का निदेश दिया था- उच्च न्यायालय ने योगदायी उपेक्षा के संबंध में अधिकरण के संप्रेक्षण का अनुमोदन किया था- विशुद्धता:

अभिनिर्धारित: अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सम्पूर्ण विश्लेषण के पश्चात यह संदेह से परे साबित होता है कि उल्लंघन करने वाले ट्रक को चालू किसी पार्किंग लाइट के बिना तथा किसी निशान या संकेतको को स्थिर वाहन के आसपास रखे बिना सड़क के मध्य में खड़ा किया गया था जिससे आने वाले यानीय यातायात को चेतावनी दी जा सके- उक्त ट्रक के नियंत्रण में व्यक्ति द्वारा यह लोप विधि का स्पष्ट उल्लंघन था- दुर्घटना राजमार्ग पर घटित हुई थी जहाँ अनुज्ञेय गतिसीमा स्पष्टतया अधिक होता है- इस प्रकार की स्थिति में, यह धारित करना अविवेकपूर्ण होगा कि घोर अंधकार की दशा में मध्यरात्रि में राजमार्ग से होकर यात्रा करने वाला वाहन चालक युक्तियुक्त दूरी में सड़क के मध्य में पड़े स्थिर वाहन को देखने में सक्षम होगा जिससे ब्रेकों का प्रयोग किया जा सके तथा टक्कर से बचा जा सके- स्थिति का शमन विरोधी दिशा सेे आने वाले वाहनों के हेडलाइटों द्वारा तथा स्थिर वाहन के देखने को और कठिन बनाने के लिए किया जा सकता है- इस प्रकार, अवर न्यायालयों द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि कार चालक ब्रेकों का प्रयोग करते हुए दुर्घटना से बच सकता था तथा इसलिए, वह समान रूप से उपेक्षापूर्ण था तथा अंतिम अवसर के सिद्धांत के प्रयोग पर दुर्घटना में योगदान दिया था स्पष्टतया अनुचित है तथा कायम नही रह सकता है - परिणामस्वरूप, योगदायी उपेक्षा के कारण अपीलार्थी- दावेदारों को अधिनिर्णीत प्रतिकर के 50 प्रतिशत की कटौती जैसा अधिकरण द्वारा निदेशित है तथा उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट है, कायम नही रह सकता है। (पैरा 40, 42)

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

सुखवीरी देवी बनाम भारत संघ (2022) 13 एससीआर 523: 2022 एससीसी आनलाइन एससी 1322; मेकला सेवैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2022) 6 एससीआर 989: (2022) 8 एससीसी 253; भारत संघ बनाम युनाइटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कं0 लि0 (1997) अनुपूरक 4 एससीआर 643: (1997) 8 एससीसी 683; अर्चित सैनी तथा एक अन्य बनाम ओरियेण्टल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड तथा अन्य (2018) 1 एससीआर 626: (2018) 3 एससीसी 365 - भरोसा किया गया।

प्रमोद कुमार रासिक भाई झवेरी बनाम करमसे कुनवरगी तक (2002) 6 एससीसी 455 - निर्दिष्ट

अस्टले बनाम आसट्रस्ट लि0 (1999) 73 एएलजेआर 403; स्वाडलिंग बनाम कोआपर 1931 एसी 1 - निर्दिष्ट

अधिनियमों की सूची

मोटरयान अधिनियम, 1988; सड़क विनियमावली नियम 1989; भारत का संविधान

प्रमुख शब्दों की सूची

मोटरयान दुर्घटना दावा; प्रतिकर; योगदायी उपेक्षा के कारण 50 प्रतिशत अधिनिर्णीत प्रतिकर की कटौती; योगदायी उपेक्षा

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील सं0 10648 वर्ष 2024

एमएफए सं0 102775 वर्ष 2016 में कर्नाटक उच्च न्यायालय सर्किट पीठ धारवाड़ के निर्णय तथा आदेश दिनांक 0704-2021 से

संबद्ध

सिविल अपील सं0 10649, 10650, 10651, 10652 - 10653 वर्ष 2024

अधिवक्तागण

नितिन ताम्बवेकर, सेषतलपा सांई बंदारू, सुश्री सुप्रीता रासगौण्डा, शरनगौण्डा पाटिल, ज्योतिष पाण्डेय, अपीलार्थी के अधिवक्तागण

अतुल नंदा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री रमीजा हकीम, राजीव माहेश्वरानंद राय, पी. श्रीनिवासन, सुश्री वर्तिका, मनीष कुमार, ईश्वर सिंह, गोपाल सिंह, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

मेहता, न्यायमूर्ति

सिविल अपील / विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं0 21172 वर्ष 2021

सिविल अपील / विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं0 1023-2022

सिविल अपील / विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं0 21248 वर्ष 2021

सिविल अपील / विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं0 337 वर्ष 2022

1. अनुमति मंजूर की गई है।

2. अपीलार्थी-दावेदारों ने मोटरयान अधिनियम 1988 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 173(1) के अधीन अपीलार्थी - दावेदारों तथा प्रत्यर्थी सं0 2- रिलायंस जनरल इंश्योरेन्स लिमिटेड (संक्षेप में बीमाकर्ता) द्वारा दाखिल एमएसी अपीलों प्रकीर्ण प्रथम अपील सं0 102776, 102549, 102775, 102546, 102773, 102547, 102777 तथा 102550 वर्ष 2016 तथा

100204 वर्ष 2017 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के खण्डपीठ द्वारा पारित एक ही निर्णय दिनांक 7 अप्रैल, 2021 द्वारा व्यथित इन अपीलों को अधिमानित किया है। उच्च न्यायालय के खण्डपीठ ने निम्न तरीके से अपीलों को निपटाया थाः-

आदेश

1. बीमा कम्पनी तथा दावेदारों दोनों द्वारा दाखिल प्रकीर्ण प्रथम अपीलों को निपटाया जाता है;

2. सभी अपीलों में उपांतरित प्रतिकर निम्नवत् है:-

एमएफए सं0	**धनराशि (रु.)**
102773 वर्ष 2016 (एमवीसी 2277 वर्ष 2013)	**21,81,718.00**
102774 वर्ष 2016 (एमवीसी 2278 वर्ष 2013)	**74,720.00**
102775 वर्ष 2016 (एमवीसी 2279 वर्ष 2013)	**59,54,392.00**
102776 वर्ष 2016 (एमवीसी 2280 वर्ष 2013)	**7,01,400.00**
102777 वर्ष 2016 (एमवीसी 2281 वर्ष 2013)	**15,000.00**

3. बीमा कंपनी इस आदेश के प्रमाणित प्रति को प्राप्त करने की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर अधिनिर्णय को पूरा करेगा;

4. प्रतिकर धनराशि का प्रभाजन तथा संवितरण अधिकरण के अधिनिर्णय के अनुसार होगा;

5. जमा धनराशि, यदि कोई हो, को दावेदारों के संवितरण हेतु तत्काल अधिकरण को भेजा जाय;

3. वर्तमान अपीलों के निपटारे हेतु सुसंगत तथा आवश्यक तथ्य संक्षेप में यह है कि 18 अगस्त, 2013 को, एक कार पंजीकरण सं0 एमएच-09/बीएक्स 4073 (संक्षेप में कार) 14 पहिया वाले ट्रेलर ट्रक पंजीकरण सं0 एमएच-09/सीए-0389 (संक्षेप में उल्लंघन करने वाला ट्रक) से टकराया था जिसे संकेतको या पार्किंग लाइट के रूप में किसी चेतावनी के संकेतों के बिना राजमार्ग के मध्य में परित्यक्त छोड़ा गया था। टक्कर के परिणामस्वरूप कार के यात्रियों अर्थात सुनीता, अष्टविनायक पाटिल, दीपाली तथा चालक साईप्रसाद कराण्डे की मृत्यु घटना स्थल पर हुई थी। यात्रियों के एक अर्थात श्रीमती सुषमा (मृतक-अष्टविनायक पाटिल की पत्नी) दुर्घटना में जीवित बची थी, फिर भी, घोर क्षतियाँ हुई थी। कार प्रत्यर्थी सं0 4 - इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेन्स कं0 लि0 (संक्षेप में बीमा कम्पनी) द्वारा बीमाकृत थी, जबकि, उल्लंघन करने वाला ट्रक प्रत्यर्थी सं0 2 बीमाकर्ता द्वारा बीमाकृत था।

4. क्षतिग्रस्त श्रीमती सुषमा तथा कार के मृतक अधिभोगियों के विधिक उत्तराधिकारीगण ने उल्लंघन करने वाले ट्रक के मालिक अर्थात प्रत्यर्थी सं0 1 तथा उल्लंघन करने वाले ट्रक के बीमाकर्ता अर्थात प्रत्यर्थी सं0 2 - बीमाकर्ता से प्रतिकर का दावा करते हुए षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा सदस्य, अवर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बेलागवी (एतस्मिन् पश्चात 'अधिकरण' के रूप में निर्दिष्ट) के समक्ष अधिनियम की धारा 166 के अधीन पृथक दावा याचिकाओं को दाखिल किया था। मालिक तथा कार के बीमाकर्ता के विरुद्ध दावेदारों द्वारा किसी अनुतोष की मांग नही की गई थी। दावेदारों ने अभिकथित किया था कि चूँकि उल्लंघन करने वाले ट्रक को पार्किंग लाइट या संकेतको को जलाये बिना या आने वाले यातायात को चेतावनी देने के लिए किसी अन्य एहतियाती उपायों के

किये बिना राजमार्ग के मध्य में परित्यक्त छोड़ा गया था, उक्त वाहन के नियंत्रण में व्यक्ति दुर्घटना के लिए पूर्णतया उत्तरदायी था।

5. अधिकरण ने, दावों का विनिश्चय करते समय अभिनिर्धारित किया कि दोनों वाहनों के चालकों द्वारा यह योगदायी उपेक्षा का मामला था। अधिकरण ने संप्रेक्षित किया कि कार के चालक ने दुर्घटना में योगदान दिया था क्योंकि वह समुचित निवारक उपायों को करने में असफल था जिससे उल्लंघन करने वाले ट्रक के टक्कर से बचा जा सके जिसे सड़क के मध्य में खड़ा किया गया था।

6. चूँकि अपीलार्थी - दावेदारों ने कार के मालिक अर्थात प्रत्यर्थी सं0 3 श्री बसंत रावन जधावर तथा प्रत्यर्थी सं0 4 - कार के बीमा कंपनी से प्रतिकर का दावा नहीं किया था, इन प्रत्यर्थीगण को माफ किया गया था तथा इनके विरुद्ध दावों को खारिज किया गया था।

7. अधिकरण ने निम्नवत् प्रतिकर की गणना किया था:'

एमवीसी सं0	**धनराशि (रु.)**
2277 वर्ष 2013	**22,25,000.00**
2278 वर्ष 2013	**30,000,00**
2279 वर्ष 2013	**60,02,500.00**
2280 वर्ष 2013	**87,500.00**
2281 वर्ष 2013	**12,500.00**

8. अधिकरण ने उल्लंघन करने वाले ट्रक स्वामी, प्रत्यर्थी सं0 1 तथा प्रत्यर्थी सं0 2- बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग अपीलार्थी-दावेदारों के दावों की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी ठहराया था तथा फिर भी, योगदायी उपेक्षा के कारण 50 प्रतिशत तक अधिनिर्णीत प्रतिकर के कटौती का निदेश दिया था।

9. अधिनिर्णीत प्रतिकर के परिमाण तथा योगदायी उपेक्षा के कारण कटौती से व्यथित अपीलार्थी- दावेदारों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 173(1) के अधीन अपीलों को दाखिल किया था।

10. पक्षकारों की ओर से पेश बहस को सुनने के पश्चात तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का मूल्यांकन करते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय के खण्डपीठ ने अंतिम अवसरके नियम को लागू किया था तथा अभिनिर्धारित किया कि यदि कार चालक सावधान रहा होता तो वह दुर्घटना से बच सकता था। उच्च न्यायालय ने योगदायी उपेक्षा के संबंध में अधिकरण के संप्रेक्षण को मुद्रण अनुमति दिया था, फिर भी इसने निर्णय दिनांक 7 अप्रैल 2021 (ऊपर) द्वारा अपीलों को निपटाते हुए अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर को उपांतरित तथा बढ़ाया था। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं0 2 - बीमाकर्ता को 50 प्रतिशत तक दावों की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी ठहराने वाले अधिकरण के निदेश की पुष्टि किया था।

11. अपीलार्थी-दावेदारों ने योगदायी उपेक्षा के कारण स्वयं को अधिनिर्णीत प्रतिकर के कटौती द्वारा प्रमुख रूप से व्यथित विशेष अनुमति द्वारा इन अपीलों को अधिमानित किया है।

12. इस प्रकार, इन अपीलों में अन्तवलित प्रमुख मुद्दा अपीलार्थी - दावेदारों को अधिनिर्णय 50 प्रतिशत प्रतिकर के कटौती के आसपास केन्द्रित है, जिसने योगदायी उपेक्षा के पहलू

पर अवर न्यायालयों के एक ही निष्कर्षों पर अभ्याक्रमण किया है जिसके द्वारा, कार चालक अर्थात साई प्रसाद कराण्डे (मृतक) को टक्कर कारित करने के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया गया था।

13. इन अपीलों में चुनौती अवर न्यायालयों के एक ही निष्कर्षों के विरुद्ध है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के एक ही निष्कर्ष में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गुजांइश विधिवत् साबित है। सुखबीरी देवी बनाम भारत संघ (2022) 13 एससीआर 523: 2022 एससीसी आन लाइन एससी 1322 के मामले में इस न्यायालय ने उल्लेख किया था:

> "3. आरंभ में, यह उल्लेखनीय है कि इस अपील में चुनौती तीनों न्यायालयों द्वारा एक ही निष्कर्षों के विरुद्ध है जैसा एतस्मिन्पूर्व उल्लिखित है। एक ही निष्कर्षों के विरुद्ध भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत विशेष अनुमति द्वारा अपील की गुंजाइश सुस्थापित है। राजस्थान राज्य बनाम शिवदयाल (2019) 8 एससीसी 637 में सुस्थापित दृष्टिकोण को दुहराते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि तथ्य का एक ही निष्कर्ष बाध्यकारी है, जब तक यह अनुचितता से संदूषित नही होता है। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया:-
>
> > **"जब तथ्य के किसी एक ही निष्कर्ष पर अभ्याक्रमण द्वितीय अपील में किया जाता है, अपीलार्थी यह बताने का हकदार होता है कि यह विधि में दोषपूर्ण है क्योंकि इसे अभिवचनों से असंबद्ध लेखबद्ध किया गया है या यह साक्ष्य पर आधारित नही है या यह तात्विक दस्तावेजी साक्ष्य को गलत समझने पर आधारित है या इसे विधि के किसी प्रावधान के विरुद्ध लेखबद्ध किया गया है तथा अंत में, निर्णय ऐसा निर्णय है जिस पर न्यायिकतः कार्यवाही करने वाला जज युक्तियुक्त रूप से पहुँच नही सकता था।** (देखिए विद्वान जज विवियन बोस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया संप्रेक्षण क्योंकि न्यायमूर्ति राजेश्वर विश्वनाथ भामिदवार बनाम दशरथ नारायण चिलवेलकर, एआईआर 1943 नागपुर 117 पैरा 43 में नागपुर उच्च न्यायालय के जज थे)
>
> 4. इस प्रकार, स्पष्ट रूप से, सुस्थापित दृष्टिकोण यह है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत अपील में एक ही निष्कर्षों में हस्तक्षेप कम किया जाना चाहिए, तथा वह भी तब जब आक्षेपित निर्णय पूर्णतया अनुचित हो। साक्ष्य के मूल्यांकन के पश्चात एक दूसरा विचार भी संभव है जो लिए गये तथा युक्तियुक्त विचार के प्रतिस्थापन हेतु कारण नही हो सकता है। अब हम सुस्थापित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह विचार करने के लिए अग्रसर होगे कि क्या उक्त अपीलीय शक्ति वर्तमान मामले में अवलंब को आकृष्ट करता है।
>
> (बल दिया गया)

14. इस न्यायालय ने मेकला सिवैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2022) 6 एससीआर 989: (2022) 8 एससीसी 253 में एक ही निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के अनुच्छेद 136 के अधीन शक्ति के प्रयोग पर विचार करते हुए प्रतिपादित किया कि:-

"15. न्यायिक निर्णय द्वारा यह सुस्थापित है कि अनुच्छेद 136 को व्यापक निबंधनों में व्यक्त किया जाता है तथा उक्त अनुच्छेद के अधीन प्रदत्त शक्तियों का बचाव किसी तकनीकी बाधाओं द्वारा नही किया जाता है। फिर भी इस अध्यारोही तथा आपवादिक शक्ति का प्रयोग कम तथा मात्र न्याय के उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाना चाहिए। इस प्रकार, जब अपील के अधीन निर्णय के परिणामस्वरूप साक्ष्य के कुछ भ्रांति या गलत समझने के द्वारा या तात्विक साक्ष्य की अनदेखी करने के द्वारा गंभीर घोर अन्याय हुआ है तब यह न्यायालय न केवल सशक्त है बल्कि न्याय के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए हस्तक्षेप करने हेतु भलीभांति अपेक्षित है।

16. यह जाँच करने के प्रयोजन हेतु साक्ष्य का पूर्वमूल्यांकन करना इस न्यायालय की आदत नही है कि क्या विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा एक साथ पहुँचे तथ्य का निष्कर्ष सही है या नहीं। यह मात्र विरल तथा आपवादिक मामलों में होता है जहाँ तात्विक साक्ष्य को गलत समझने या अनदेखी करने के कारण कुछ स्पष्ट अवैधता या गंभीर तथा घोर अन्याय है, यह कि वह न्यायालय इस प्रकार के तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करेगा।

18. भरवाड़ा भोगिन भाई हिरजी भाई बनाम गुजरात राज्य (भरवाड़ा भोगिन भाई हिरजी भाई बनाम गुजरात राज्य (1983) 3एससीसी 217: 1983 एससीसी (क्रि) 728) में इस न्यायालय के दो जजों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि यह न्यायालय तब तक तथ्य के एक ही निष्कर्षों में हस्तक्षेप नही करता है जब तक यह साबित नही हो जाता है;

18.1 यह कि निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित नही है।

18.2 यह कि निष्कर्ष अनुचित है, इस प्रकार का होने के नाते कोई विवेकवान व्यक्ति इस पर नही पहुँच सकता है भले ही साक्ष्य को इसके प्रत्यक्ष मूल्य पर लिया जाता है।

18.3 निष्कर्ष अग्राह्य साक्ष्य पर आधारित एवं निर्मित है लक्ष्य से अपवर्जित जो साक्ष्य अभियोजन मामले को नकार देगा या सारवान तरीके से इस पर अविश्वास करता है या कमजोर करता है।

18.4 साक्ष्य का कुछ महत्वपूर्ण भाग जो दोषसिद्ध के पक्ष में तराजू को झुकायेगा की अनदेखी, उपेक्षा या गलत तरीके से व्यक्त किया गया है।" (बल दिया गया)

15. उपरोक्त पूर्व निर्णयों के दृष्टिगत, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपने अधिकारिता के प्रयोग में हस्तक्षेप करने की शक्ति है, भले ही अवर न्यायालय यह शर्त के अधीन कतिपय तथ्यात्मक पहलू के संबंध में एक साथ एक ही निष्कर्ष पर पहुँचे है कि इस प्रकार का निष्कर्ष इस प्रकार अनुचित है कि कोई समझदार व्यक्ति इस प्रकार के निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है भले ही साक्ष्य को इसके प्रत्यक्ष मूल्य पर लिया जाता है।

16. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा पेश निवेदनों पर विचार करने के पश्चात तथा उच्च न्यायालय एवं अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों का परिशीलन करने के बाद एवं अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का मूल्यांकन करने के पश्चात, हम महसूस करते है कि विवादास्पद निष्कर्ष जिसके द्वारा, कार चालक अर्थात साई प्रसाद कराण्डे (मृतक) को उल्लंघन करने वाले ट्रक के चालक/स्वामी के साथ दुर्घटना कारित करने के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया गया है जिसके कारण यात्री-सुषमा तथा मृतक-यात्रीगण के आश्रितों के दावों की कटौती 50 प्रतिशत तक योगदायी उपेक्षा के सिद्वांत पर किया गया है अभिलेख को देखते ही अनुचित है।

17. इसके अलावा, हम धारित करते हैं कि अवर न्यायालयों का निष्कर्ष, जिसने चालक - साई प्रसाद कराण्डे (मृतक) के विधिक उत्तराधिकारियों के अलावा मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों तथा क्षतिग्रस्त के दावों को कम किया है भी विधि की दृष्टि में अवैध है। अवर न्यायालयों ने अपने-अपने अपीलार्थी-दावेदारों अर्थात यात्रीगण के आश्रितों तथा क्षतिग्रस्त और चालक- साई प्रसाद कराण्डे के आश्रितों को अधिनिर्णीत 50 प्रतिशत की दर पर प्रतिकर से कटौती का निदेश देते हुए योगदायी उपेक्षा के सिद्धांत को समान रूप से लागू किया था। इस प्रकार, कार चालक के योगदायी उपेक्षा को यात्रियों के संबंध में प्रतिनिधिक रूप से लागू किया गया है जो प्रथमदृष्टया अवैध तथा अननुज्ञेय है।

18. भारत संघ बनाम युनाइटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कं0 लि0 (1997) अनुपूरक 4 एससीआर 643 के मामले में इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया था कि क्या किसी प्रकार से चालक की उपेक्षा मोटरयान के यात्रियों को प्रतिनिधिक रूप से सम्मिलित करता है जिसका वह चालक था तथा यह निम्नवत् अभिनिर्धारित किया गया था।

> ''10. अपकृत्य विधि जिसे ''शिनाख्त का सिद्धांत'' या अभ्यारोपण कहा जाता है में विख्यात सिद्धांत है। यह इस आशय का है कि प्रतिवादी वादी या वादी के कर्मचारी के योगदायी उपेक्षा का अभिकथन कर सकता है जहाँ कर्मचारी नियोजन के अनुक्रम में कार्य कर रहा है लेकिन, मिल्स बनाम आम्सस्ट्रांग (1888) 13 एसी1, एचएल) (बरनिना मामला भी कहा जाता है) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सिद्वांत इस अभिप्राय में वाहन में यात्री के संबंध में लागू नही होता है कि वाहन चालक की उपेक्षा जिसमें यात्री यात्रा कर रहा है, यात्री को अभ्यारोपित नही किया जा सकता है। (हाल्सबरी का लाॅ आॅफ इंग्लैण्ड, चतुर्थ संस्करण, 1984 वैल्यूम 34, पे0 74; रतनलाल तथा धीरज लाल, अपकृत्य विधि, 23वाँ संस्करण, 1997 पे0 511; रामा स्वामी अय्यर, अपकृत्य विधि, 7वाँ संस्करण, पे0 447) बरनिना मामला ((1888) 13 एसी 1, एचएल) जिसमें यह सिद्वांत वाष्प जहाज में यात्रियों के संबंध में 1888 में दिया गया था। इस मामले में कर्मी दल के सदस्य तथा जहाज बुशायर में यात्री एक दूसरे जहाज वरनिना के टक्कर के कारण डूब गये थे। यह अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही जहाज बुशायर के चालक सदस्यगण उपेक्षापूर्ण थे, चालक दल के उपेक्षा को मृतक पर अभ्यारोपित नही किया जा सकता है जो इस जहाज में यात्रा कर रहे थे। परवर्ती मामलों में इस सिद्वांत को मोटरयान में यात्रा कर रहे यात्रियों के संबंध में लागू किया गया है

जिसके चालक को योगदायी उपेक्षा का दोषी पाया गया है। दूसरे शब्दों में, योगदायी उपेक्षा का सिद्वांत वादी या इसके अभिकर्ता के वास्तविक उपेक्षा तक सीमित है। ऐसा कोई नियम नही है कि बस चालक या कोच या कैब या टे्रन का इंजन ड्राइवर या जहाज का कैप्टन को एक तरफ तथा यात्रियों को दूसरी तरफ ''शिनाख्त'' किया जाना चाहिए जिससे पहले के योगदायी उपेक्षा हेतु किसी दायित्व में बांधा जा सके। वाहन के संचालन के ''नियंत्रण के अधिकार'' को साझा करने वाले यात्री की कल्पना नही हो सकता है न ही कल्पना है कि चालक यात्री का अभिकर्ता है। एक यात्री को बैक सीट चालक के रूप में नही माना जाता है। प्रोसेट एण्ड कीटान आन टार्ट 5वां संस्करण, 1984 पे0 521-22) इसलिए यह स्पष्ट है कि भले ही यात्री वाहन का चालक उपेक्षापूर्ण था, रेलवे, यदि इसकी उपेक्षा अन्यथा साबित होती है- वाहन के यात्रियों की ओर से योगदायी उपेक्षा का अभिवचन नही कर सकता है। स्पष्ट यह है कि बस के यात्रीगण निर्दोष थे - बस स्वामी तथा चालक तथा यदि साबित होता है, रेलवे- सभी संयुक्त अपकृत्यकर्तागण हो सकते है।

(बल दिया गया)

19. उपरोक्त निर्णय के विनिश्चयाधार से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना में शामिल वाहन चालक की ओर से योगदायी उपेक्षा में प्रतिनिधिक रूप से यात्रियों को सम्मिलित नही किया जा सकता है जिससे यात्रियों या इसके विधिक उत्तराधिकारीगण जैसी भी स्थिति हो, को अधिनिर्णीत प्रतिकर को घटाया जा सके।

20. इस प्रकार, हमें यह धारित करने में कोई हिचकिचाहट नही है कि अपीलार्थी - दावेदारों के मृतक - यात्रीगण तथा श्रीमती सुषमा का आश्रित होने के नाते को अधिनिर्णीत प्रतिकर को कम करते हुए अवर न्यायालयों ने विधि में गंभीर त्रुटि किया था क्योंकि इन दावेदारों के दावों का काटछांट चालक के साथ प्रतिनिधिक दायित्व देते हुए नही किया जा सकता है। फिर भी, मृतक चालक साई प्रसाद कराण्डे के आश्रितगणों का दावा भिन्न आधार पर बल देगा।

21. अब हम चर्चा करने के लिए अग्रसर होगे कि क्या अवर न्यायालय दुर्घटना कारित करने में योगदायी उपेक्षा के आधार पर कार चालक पर आंशिक दायित्व जकड़ने में न्यायानुमत थे।

22. उच्च न्यायालय ने, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का उल्लेख करने के पश्चात, योगदायी उपेक्षा के पहलू पर निम्न संप्रेक्षणों को किया था:-

''12. अन्वेषक अधिकारी ने कार चालक तथा ट्रक चालक के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। प्रदर्श पी 4- स्थल महाजर से यह तथ्य साबित होता है कि उल्लंघन करने वाले ट्रक को सड़क के बीच में खड़ा किया गया था। निर्विवादित रूप से दुर्घटना 9 :10 बजे रात में कारित हुई थी तथा ट्रक एक भारी सामान का वाहन होता है। प्रदर्श पी-6- दुर्घटना के स्थान का फोटोग्राफ यह साबित करता है कि उल्लंघन करने वाला ट्रक चैदह पहिया का भारी ट्रक था जिसे सड़क के बीच में खड़ा किया गया था। यद्यपि विद्वान अधिवक्ता श्री जी0एन0 रायचूर ने

निवेदन किया है कि ट्रक को सड़क के बिल्कुल बायें खड़ा किया गया था, **फिर भी, फोटोग्राफ में परिशीलन से स्पष्ट रूप से यह तथ्य साबित होता है कि ट्रक को सड़क के मध्य पर खड़ा किया गया था तथा दूसरी तरफ, दावेदारों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दुर्घटना के समय पर कुहरा था। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण नही है।** सम्पूर्णता में तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि यदि कार चालक सतर्क था, वह दुर्घटना से बचाव कर सकता था तथा तद्नुसार, अंतिम अवसर का नियम मामले के तथ्यों के संबंध में स्पष्ट रूप से लागू होगा तथा इसलिए, प्रश्नगत दोनों वाहनों के चालकों पर 50 प्रतिशत योगदायी उपेक्षा से जकड़ने वाले अधिकरण द्वारा लेखबद्ध निष्कर्ष न्यायसंगत तथा उचित है। उपर्युक्त के दृष्टिगत, मुद्दा सं0 1 पर अधिकरण द्वारा लेखबद्ध निष्कर्ष को तद्द्वारा पुष्ट किया जाता है तथा दायित्व को चुनौती देने वाले बीमा कंपनी द्वारा दाखिल अपीलों को नामंजूर किया जाना आवश्यक है, तद्नुसार नामंजूर किया जाता है।

(बल दिया गया)

23. आक्षेपित निर्णय से उपरोक्त उदधरण का परिशीलन करने के पश्चात, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने सकारात्मक निष्कर्ष लेखबद्ध किया था कि उल्लंघन करने वाला ट्रक को सड़क के मध्य में खड़ा किया गया था। इस निष्कर्ष जैसा साक्ष्य से प्रकट होता है को चुनौती नही दिया गया है तथा अंतिमता प्राप्त किया है। दुर्घटना 18 अगस्त 2013 को घटित हुई थी जो हिन्दू कैलेण्डर के अनुसार शुक्लपक्ष द्वादशी को पड़ा था इस प्रकार दूर-दूर तक संभावना भी नही थी कि सड़क दुर्घटना के समय पर चांदनी द्वारा प्रदीप्त होगा। अधिकरण तथा उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य की चर्चा टक्कर के स्थान पर सड़क के प्रकाश के उपलब्धता के संबंध में कोई संकेत नही करता है तथा इसलिए इस बात पर कोई संदेह नही है कि दुर्घटना के समय पर, सड़क पर स्थितियाँ घोर अंधेरे की रही होगी जो युक्तियुक्त दूरी में स्थिर उल्लंघन करने वाले ट्रक को देखना आने वाले वाहनों के लिए वस्तुतः असंभव बनता है।

24. अपीलार्थी-दावेदारों के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि न तो कोई साक्ष्य है न ही अवर न्यायालयों द्वारा कोई निष्कर्ष है कि सम्यक् सावधानी तथा सतर्कता के पश्चात् अर्थात पार्किंग लाइट जलाकर या वाहन के चारों ओर कोई प्रमुख निशान लगाकर जिससे गुजरने वाले वाहनों को चेतावनी दी जा सके सड़क पर उल्लंघन करने वाले ट्रक को खड़ा किया गया था। इस प्रकार स्पष्ट रूप से पार्किंग लाइट जलाने या घोर अंधकार में राजमार्ग के आरपार जाने वाले वाहनों को चेतावनी देने के लिए किसी अन्य एहतियाती उपायों को करने के संबंध में सम्यक् सावधानी एवं सतर्कता लिये बिना उल्लंघन करने वाले ट्रक को राजमार्ग के मध्य में परित्यक्त छोड़ा गया था (जैसा साथ-साथ दोनों अवर न्यायालयों द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है)

25. सहज बुद्धि यह अपेक्षा करता है कि किसी वाहन को सड़क के बीच में खड़ा तथा अरक्षित छोड़ा नही जा सकता है क्योंकि यह अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए जोखिम खड़ा करते हुए निश्चित रूप से यातायात आपद होगा।

26. हम वर्तमान स्थिति के संबंध में लागू कानूनी प्रावधानों को संक्षेप में निर्दिष्ट करेगें।

27. राजमार्ग या सड़क एक सार्वजनिक स्थान है जैसा अधिनियम की धारा 2(34) में परिभाषित है:-

> 2(34) ''सार्वजनिक स्थान'' से सड़क, गली, रास्ता या अन्य स्थान अभिप्रेत है, चाहे आम रास्ता हो या नही, जिस तक जनता के पास पहुँच का अधिकार है तथा कोई स्थान या ठहराव शामिल है जिस पर यात्रियों को सवारी द्वारा उठाया या उतारा जाता है।

28. अधिनियम की धारा 121 उपबंध करता है कि मोटरयान का चालक इस प्रकार के मौकों पर इस प्रकार निशान बनायेगा, जैसा केन्द्र सरकार द्वारा विहित किया जाय।

29. अधिनियम की धारा 122 उपबंध करता है कि मोटरयान का भार साधक कोई व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में या इस प्रकार की दशा में या इस प्रकार की परिस्थितियों में किसी ''सार्वजनिक स्थान'' पर वाहन या किसी ट्रेलर को परित्यक्त या निश्चिन्त छोड़ने की अनुमति नही देगा या दिलवायेगा जिससे सार्वजनिक स्थान के अन्य उपयोगकर्ताओं या यात्रियों के लिए खतरा, बाधा या अनुचित असुविधा कारित हो या कारित होने की संभावना हो।

30. अधिनियम की धारा 126 उपबंध करता है कि मोटरयान का भार साधक या चलाने वाल व्यक्ति किसी सार्वजकि स्थान में वाहन को खड़ा नही करेगा या खड़ा करने की अनुमति नही देगा।

31. अधिनियम की धारा 127(2) उपबंध करता है कि जहाँ कोई परित्यक्त, अरक्षित, क्षतिग्रस्त जला या आंशिक रूप से पुर्जा खुला वाहन सार्वजनिक स्थान के संबंध में अपने स्थान के कारण यातायात आपद पैदा कर रहा है या इसका भौतिक रूप रंग यातायात के लिए बाधा कारित कर रहा है, सेवा नियंत्रित करते हुए सार्वजनिक स्थान से इसका तत्काल हटाया जाना अधिकारिता प्राप्त पुलिस अधिकारी द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।

32. सड़क विनियम की नियमावली 1989 का विनियम 1989 जो घटना के तिथि को विद्यमान था उपबंध करता है कि मोटरयान का प्रत्येक चालक वाहन को इस प्रकार से खड़ा करेगा जिससे यह अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए खतरा, बाधा या अनुचित असुविधा कारित न करे या कारित करने की संभावना न हो। यह इस बात को कहते हुए मोटरयान के चालकों पर कर्तव्य आरोपित करता है कि वाहन को सड़क समपार के निकट या प्रमुख सड़क पर खड़ा नही किया जायेगा।

33. ये विधिक प्रावधान संदेह के लिए कोई गुंजाइश नही छोड़ता है कि व्यक्ति जिसका उल्लंघन करने वाले ट्रक पर नियंत्रण था सड़क के बीच में वाहन का परित्याग करते हुए विधि के निरा उल्लंघन में कार्य किया था तथा वह भी पार्किंग लाइट, परावर्तक को जलाने या राजमार्ग पर यात्रा कर रहे अन्य वाहनों को चेतावनी देने के लिए कोई अन्य समुचित कदमों जैसे एततिहायती उपायों को किये बिना। यदि दुर्घटना दिन के दौरान घटी होती या यदि घटना स्थल भलीभांति प्रकाशित होता, तब संभवतः कार चालक को अंतिम अवसर के नियम को लागू करते हुए दुर्घटना के लिए समान रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता था। लेकिन तथ्य यह है कि दुर्घटना स्थल पर प्राकृतिक या कृत्रिम कोई प्रकाश

नही था। चूँकि उल्लंघन करने वाले ट्रक को लागू नियमों तथा विनियमों के स्पष्ट उल्लंघन में सड़क के मध्य में परित्यक्त छोड़ा गया था, यह साबित करने का भार कि इस प्रकार उक्त वाहन का खड़ा किया जाना मानव नियंत्रण के परे था तथा यह कि इस स्थिति में वाहन को छोड़ते हुए लिया गया समुचित एहतियाती उपाय मूलतः उस व्यक्ति पर था जिसके नियंत्रण में उल्लंघन करने वाला था। फिर भी, इस संबंध में उक्त ट्रक पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया था। इस प्रकर, उपेक्षा हेतु सम्पूर्ण दायित्व जिसके कारण दुर्घटना हुई थी ट्रक मालिक/ चालक का था।

34. उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार कि यदि कार चालक सतर्क होता तथा यातायात नियमों का पालन करते हुए सावधानी पूर्वक वाहन चलाया होता तो दुर्घटना से बचाव किया जा सकता था अभिलेख को देखते हुए धृष्ट है क्योंकि यह विशुद्ध रूप से अनुमानों तथा अटकलों पर आधारित है। अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि कार को बेहद अधिक गति से चलाया जा रहा था या कि चालक यातायात नियमों का पालन करने में असफल था। उच्च न्यायालय ने असंगत निष्कर्ष लेखबद्ध किया था कि यदि उल्लंघन करने वाले ट्रक को राजमार्ग पर खड़ा न किया होता तो दुर्घटना घटित न हुई होती भले ही कार को काफी अधिक गति से चलाया जा रहा था। इसलिए, योगदायी उपेक्षा के मुद्दे पर उच्च न्यायालय की तार्किकता अन्तर्निहित विरोधाभासों से छलनी है तथा विरोधाभासी है।

35. अवर न्यायालयों ने यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि किया था कि यह योगदायी उपेक्षा का मामला है, क्योंकि योगदायी उपेक्षा को साबित करने के लिए, कुछ कार्य या लोप जिसने दुर्घटना या क्षति में तात्विक रूप से योगदान दिया है उस व्यक्ति को माना जाना चाहिए जिसके विरुद्ध यह अभिकथित है।

36. प्रमोद कुमार रासिक भाई झवेरी बनाम कर्मासे कुनवरगी तक (2002) 6 एससीसी 455 के मामले में इस न्यायालय ने आसटले बनाम आसट्रस्ट लि0 (1999) 73 एएलजेआर 403 में आस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए यह धारित किया था कि:-

> ‘‘....जहाँ, अपने उपेक्षा द्वारा, यदि एक पक्षकार, एक दूसरे पक्षकार को खतरे की स्थिति में रखता है जो अन्य को स्वयं को मुक्त करने के लिए शीघ्रता से कार्य करने के लिए मजबूर करना है, यह योगदायी उपेक्षा के तुल्य नही होता है, यदि यह कि अन्य इस तरह से कार्य करता है जिसे पश्चदृष्टि के लाभ से कठिनाई से सर्वोत्तम तरीके से बाहर न निकला दिखाया गया है।’’

37. बिल्कुल इसी निर्णय में, इस न्यायालय ने स्वाडलिंग बनाम कोआपर 1931 एसी1 में लिए गये विचार को निम्नवत् निर्दिष्ट तथा अनुमोदित किया है:-

> **‘‘कुछ असाधारण एहतियात बरतते हुए टक्कर से बचने की विफलता मात्र स्वयं में उपेक्षा का गठन नही करता है।**
>
> (बल दिया गया)

38. **अर्थित सैनी तथा एक अन्य बनाम ओरिएन्टल इन्श्योरेन्स कंपनी लि0 तथा अन्य (2018) 1 एससीआर 626: (2018) 3 एससीसी 365** के मामले में इस न्यायालय के तीन

जजों के पीठ के पास समान तथ्य परिदृश्य पर विचार करने का अवसर था तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात, यह अभिनिर्धारित किया गया था:-

> ‘‘8. वादी साक्षी 7 के साक्ष्य, स्थल मानचित्र (प्रदर्श पी-45) का परिशीलन करने के पश्चात तथा अधिकरण द्वारा किये गये विस्तृत विश्लेषण के पश्चात, हमें यह विचार लेने में कोई हिचकिचाहट नही है कि विवाद्यक सं0 1 पर अधिकरण द्वारा पहुँचे निष्कर्ष को उलटने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण काफी अविश्वासनीय रहा है, यदि गूढ़ तथा अनुचित नही। वास्तव में, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील का विनिश्चय विधि तथा तथ्य पर किया जाना आवश्यक है। यह कि, फिर भी, उच्च न्यायालय को अधिकरण द्वारा लेखबद्ध तथ्य के निष्कर्ष को अविश्वसनीय तरीके से उलटने की अनुमति नही देगी। जैसा अधिकरण द्वारा किये गये विश्लेषण से स्पष्ट है, यह सुविचारित राय तथा युक्तियुक्त विचार है। उच्च न्यायालय ने किसी विनिर्दिष्ट कारण का उल्लेख नहीं किया है कि क्यों अधिकरण द्वारा लिया गया विचार गलत था या अभिलेख पर साक्ष्य द्वारा समर्थित नही था। यह सुस्थापित है कि दुर्घटना दावों से संबंधित मामलों में अपेक्षित सबूत की प्रकृति दाण्डिक मामलों में सबूत के प्रकृति से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, जिसे सभी युक्तियुक्त संदेही से परे होना चाहिए। अधिकरण ने स्वयं के समक्ष साक्ष्य के विश्लेषण में सही कसौटी को लागू किया था। विशेष रूप से, उच्च न्यायालय ने अविश्सवनीय होने के नाते वादी साक्षी 7 के साक्ष्य पर संदेह व्यक्त नही किया है न ही इसने इसके कथन को त्यक्त किया है कि मारूती कार का चालक समाने की तरफ से आने वाले यातायात के कौंध बत्ती के कारण खड़े किये गये गैस टैंकर को नही देख सका था। आगे, अधिकरण ने सड़क के बीच में उपेक्षापूर्ण तरीके से अपने वाहन को खड़ा करने वाले गैस टैंकर के चालक के विरुद्ध विधिक उपधारणा का भी उल्लेख किया था। स्थल मानचित्र (प्रदर्श पी-45) वादी साक्षी 7 के कथन को प्रबलित करता है कि ट्रक (गैस टैंकर) को सड़क के बीच में खड़ा किया गया था लेकिन उच्च न्यायालय ने जो भी हो किसी कारण को दिये बिना विपरीत विचार व्यक्त किया था। हमारी राय में, आरोप पत्र के साथ दाखिल स्थल मानचित्र (प्रदर्श पी-45) उच्च न्यायालय द्वारा लेखबद्ध निष्कर्ष का समर्थन नही करता है कि गैस टैंकर को सड़क के बीच में खड़ा नही किया गया था। विशेष रूप से उच्च न्यायालय ने दावेदार के इस अभिवाक् पर संदेह नही व्यक्त किया है कि गैस टैंकर/उल्लंघन करने वाले वाहन को किसी संकेतक या पार्किंग लाइट के बिना खड़ा किया गया था। तथ्य कि वादी साक्षी 7 जो लगभग 70 फिट की दूरी पर सड़क के विपरीत तरफ पर खड़ा था, सड़क के दूसरे तरफ पर खड़ा किये गये गैस टैंकर को देख सकता था इसके कथन पर अविश्वास नही करता है कि विपरीत तरफ से आने वाला मारूति कार सामने की तरफ से उपगामी यातायात के कौंध बत्ती के कारण गैस टैंकर को नही

देख सका था। यह विवादित नही है कि सड़क एक व्यस्त सड़क है। प्रति-परीक्षा में, वादी साक्षी 7 के कथन पर अविश्वास करने के लिए न तो कोई प्रयास किया गया है न ही कोई सुझाव दिया गया है कि सुसंगत समय पर खड़ा किये गये गैस टैंकर के विपरीत दिशा से कौंध बत्ती खोले वाहन आ रहा था।

9. यह संप्रेक्षित करना पर्याप्त है कि तात्विक तथ्य पर अधिकरण द्वारा लेखबद्ध सुविचारित निष्कर्ष को उलटने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण, जो अभिलेख पर साक्ष्य द्वारा समर्थित है, का अनुमोदन नही किया जा सकता है।

10. तद्नुसार, हमें उच्च न्यायालय के उक्त निष्कर्ष को अपास्त करने में कोई हिचकिचाहट नही है। परिणामस्वरूप, अपीलार्थीगण बढ़े प्रतिकर के हकदार होगे जैसा योगदायी उपेक्षा के लिए किसी कटौती के बिना अपने सम्पूर्णता में उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित है। दूसरे शब्दों में, हम प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध विवाद्यक सं0 1 पर दिये गये अधिकरण के निष्कर्ष को पुर्नस्थापित करते है तथा धारित करते है कि प्रत्यर्थी सं0 1 ने उपेक्षापूर्ण तरीके से किसी संकेतक या पार्किंग लाइट के बिना सड़क के बीच में गैस टैंकर/ उल्लंघन करने वाले वाहन को खड़ा किया था।''

39. मेरी राय है कि पूर्वोक्त निर्णय सभी चारों पर वर्तमान मामले के संबंध में लागू होता है तथा इस प्रकार, अपीलार्थी-दावेदारों को इस आधार पर इनके अधिकारवान प्रति कर से वंचित नही किया जा सकता है कि कार चालक अर्थात साई प्रसाद कराण्डे (मृतक) व्यक्ति जिसका उल्लंघन करने वाले ट्रक पर नियंत्रण था के साथ दुर्घटना हेतु संयुक्त रूप से उत्तरदायी है तथा इसलिए, इनके दावों को योगदायी उपेक्षा के सिद्वांत पर कम किया जाना चाहिए।

40. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सम्पूर्ण विश्लेषण के पश्चात, यह संदेह से परे साबित होता है कि उल्लंघन करने वाले ट्रक को किसी पार्किंग लाइट को खोले बिना तथा स्थिर वाहन के चारों ओर किसी निशान या संकेतको को रखे बिना सड़क के बीच में खड़ा किया गया था जिससे आने वाले यानीय यातायात को चेतावनी दी जा सके। व्यक्ति जिसका उक्त ट्रक पर नियंत्रण था द्वारा लोप विधि के स्पष्ट उल्लंघन में था। दुर्घटना राजमार्ग पर घटित हुई थी जहाँ अनुज्ञेय गतिसीमा बहुत अधिक होती है। इस प्रकार की स्थिति में, यह धारित करना समझदारी नही होगी कि घोर अंधकार की दशा में मध्य रात्रि में राजमार्ग से होकर यात्रा करने वाला वाहन चालक युक्तियुक्त दूरी में सड़क के मध्य में पड़े स्थिर वाहन को देखने में सक्षम होगा जिससे ब्रेकों का उपयोग किया जा सके तथा टक्कर से बचा जा सके। परिस्थिति विपरीत दिशा में आने वाले वाहनों के हेडलाइट द्वारा बनेगी तथा स्थिर वाहन को देखना और भी कठिन बनायेगी। इस प्रकार, अवर न्यायालयों द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि कार चालक ब्रेकों का प्रयोग करते हुए

दुर्घटना से बच सकता था तथा इसलिए, वह समान रूप से उपेक्षापूर्ण था तथा अंतिम अवसर के सिद्धांत के प्रयोग पर दुर्घटना में योगदान दिया था स्पष्टतया अनुचित है तथा कायम नही रह सकता है। अतः यह उपयुक्त मामला है जहाँ तथ्यों के एक ही निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन इस न्यायालय के शक्तियों के प्रयोग का समुचित आधार है।

41. इसलिए, हम धारित करते है कि प्रत्यर्थी सं0 2 बीमाकर्ता द्वारा बीमाकृत व्यक्ति जिसके नियंत्रण में उल्लंघन करने वाला ट्रक था, उपेक्षा हेतु पूर्णतया उत्तरदायी है जिसके कारण दुर्घटना घटित हुई थी।

42. परिणामस्वरूप, योगदायी उपेक्षा के कारण अपीलार्थी - दावेदारों को अधिनिर्णीत प्रतिकर के 50 प्रतिशत की कटौती, जैसा अधिकरण द्वारा निदेशित तथा उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट है, कायम नही रह सकता है। इस विवाद्यक पर अवर न्यायालयों द्वारा लेखबद्ध निष्कर्ष को अनुचित तथा तथ्यों में एवं विधि में अनुचित तथा असंधार्य होने के नाते उलटा जाता है। परिणामस्वरूप, यह निदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी - दावेदारों को देय प्रतिकर से कोई कटौती नही की जायेगी जो पूरे प्रतिकर का हकदार होगा जैसा अधिकरण द्वारा मूल्यांकन किया गया है तथा उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय द्वारा उपांतरित किया गया है।

43. आगे यह निदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी सं0 2- बीमाकर्ता अधिनिर्णय की क्षतिपूर्ति करने के लिए उल्लंघन करने वाले ट्रक स्वामी के साथ संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग दायी होगा।

44. अपीलों को तद्नुसार अनुज्ञात किया जाता है। कोई खर्च नही। सिविल अपील / विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं0 17692-17693 वर्ष 2023

45. अनुमति प्रदान की गई ।

46. इन अपीलों में, अपीलार्थी-मलूताई मृतक - अष्ट विनायक पाटिल की माँ ने अपीलार्थी तथा सह-दावेदार श्रीमती सुषमा, मृतक-अष्ट विनायक पाटिल की पत्नी (वर्तमान अपीलों में प्रत्यर्थी सं0 5) के बीच अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर के प्रभाजन के चुनौती दिया है। प्रभाजन में उपांतरण इस आधार पर ईप्सित है कि सह-दावेदार श्रीमती सुषमा ने दावा का विनिश्चिय होने के पश्चात पुर्नविवाह किया है तथा इस प्रकार वह प्रतिकर में समान अंश का दावा नहीं कर सकती है।

47. पक्षकारों की ओर से पेश निवेदनों पर विचार करने के पश्चात, हम अपीलार्थी - मलूताई तथा सह-दावेदार (प्रत्यर्थी सं0 5) के बीच प्रतिकर के प्रभाजन में हस्तक्षेप करने के लिए प्रवृत्त नही है, जैसा अधिकरण द्वारा निदेशित तथा उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट है। इस प्रकार, अपीलार्थी-मलूताई के उक्त अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है।

48. फिर भी, हम सिविल अपील / विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं0 21172 वर्ष 2021 तथा संबद्ध मामलों में लेखबद्ध निष्कर्षों को दोहराते है तथा निदेश देते है कि दावेदारों

के मृतक-अष्ट विनायक पाटिल की माँ तथा पत्नी होने के नाते, योगदायी उपेक्षा के कारण किसी कटौती के बिना पूर्ण प्रतिकर के हकदार होगे।

49. प्रत्यर्थी सं0 2 - बीमाकर्ता अधिनिर्णय की क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी होगा, फिर भी, दावेदारों के बीच परस्पर प्रतिकर का प्रभाजन जैसा अधिकरण द्वारा निदेशित है, विक्षुब्ध नही किया जायेगा।

50. अपीलों को तद्नुसार निपटाया जाता है। कोई खर्च नही।

51. लंबित आवेदन (आवेदनों), यदि कोई है, को निपटाया जायेगा।

मामले का परिणाम: अपीलों को निपटाया गया है।

अंकित ज्ञान द्वारा शीर्ष टिप्पणियाँ तैयार की गई।

(यह अनुवाद शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)